अपील भरण पोषण प्रकरण सं0 04/2016 अनवान् मनीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी 8 के तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर **बनाम** 1. ओम प्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 8 के तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 2.राधाकृष्ण पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 2 के अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 3. परीक्षित पुत्र प्रेमचंद जाति जाट निवासी चक 2 के तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.03.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मनीराम एवं रेस्पोड संख्या 01 उपस्थित नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 राधाकृष्ण(पुत्र) एवं परीक्षित(पौत्र) उपस्थित आए एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 द्वारा लिखित बहस पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई। उक्त उपस्थित रेस्पोडेंट की पुनः बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेंट संख्या 02 राधाकृष्ण एवं 03–परीक्षित का कथन है कि अप्रार्थी राधाकृष्ण के पास 15 बीघा जमीन है जो कुल 3 टुकड़ों में विभाजित है जो कम उपजाऊ है और व शारीरिक रूप से अस्वस्थ है एवं अप्रार्थी परीक्षित अध्ययनरत है और मां अस्थमा रोग से पीडित है, जिसका दवाईयों पर काफी खर्च हो जाता है। बहन की अभी दो माह पूर्व शादी की है जिस पर अप्रार्थीगण का काफी खर्च हो गया है। इसलिए अपीलकृत आदेश खारिज किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट न तो बीमार है न ही उसे किसी सहारे की आवश्यकता है। अपीलार्थी को कोई गम्भीर बीमारी नहीं है और उसका बवासीर का ईलाज हो चुका है। बवासीर के लिए दवा की जरूरत होती है तो वे मां बाप को लाकर देते है। रेस्पोडेंट संख्या 2 का पिता व 3 का दादा जो कि अपीलांट है, को मकान भी खरीद कर दिया हुआ है, जिसमें अपीलांट की रिहायश है तथा पानी बिजली का बिल अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा ही जमा करवाया जा रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 2 के पिता व 3 के दादा जो कि अपीलांट 3000/– प्रति माह अप्रार्थीगण से प्राप्त कर रहे है एवं अपीलांट को 1500/– वृद्धावस्था पेन्शन भी मिल रही है और उसके बैंक खाते में एक लाख रूपये जमा है और अपीलांट के पास एक फार्ड ट्रैक्टर आर आर के 6072 है, जिसे अपीलांट किराये पर भी चलाता है और वर्तमान में उक्त ट्रैक्टर से एक माह में 24000/– आय हो जाती है। इस प्रकार अपीलांट के पास अपने भरण पोषण के पर्याप्त साधन है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

मैने रेस्पोडेंट के उक्त तर्को पर मनन किया और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावाली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के आदेश दिनांक 14.10.2015 की अप्रसन्नता से अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2016 को पेश की है और उसने पूर्व में तय किये गये भरण पोषण राशि 1500–1500/– रूपये की राशि को बढाकर उक्त तीनों रेस्पोडेंट से राशि 3500–3500 रूपये भरण पोषण के रूप में दिलाये जाने की प्रार्थना की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपीलार्थी/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 29.09.2017 पर दोनो पक्षकारों को सुनवाई के पश्चात दिनांक 14.10.2015 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया है:–

आदेश

अतः समस्त विवेचन से व प्रस्तुत रिपोर्ट व साक्ष्य के चक 8 के"बी" का अवासीय मकान वादी का होना सिद्ध होता है। इस कारण वहां वादीगणों के पुर्नवास का हक बनता है। इस प्रस्तुत वाद का संबन्ध भरण पोषण तक ही अनुतोष दिये जाने का बनता है। तीनों प्रतिवादी मुताबिक रिपोर्ट मौके भरण–पोषण करने में सक्ष्म है।

अतः निम्न से आदेश पारित किया जाता है :

1. वादीगणों को राज्य सरकार से भरण–पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन 500–500 रूपये अलग–अलग प्राप्त हो रही है। अतः अतिरिक्त रूप से सहज सामान्य जीवन निर्वाह हो सके, के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रतिमाह 1500–1500/– रूपये दोनो वादी (माता–पिता) के बैंक खाते में जरिये चैक/ईसीएस जमा करवायें। उक्त व्यवस्था प्रार्थना पत्र पेश दिनांक 29.09.2014 से प्राभावी होगे।
2. वादी को अपने आवास वाके चक 8के"बी" में तहसीलदार, अनूपगढ/थानाधिकारी पुलिस थाना अपूनगढ वादीगणों को पुनः निर्वासित करवाने व प्रार्थना पत्र में वर्णित चल सम्पति दिलवाये जाने की व्यवस्था करें।
3. प्रतिवादियों द्वारा पालना नहीं करने की दशा में तहसीलदार (राजस्व) प्रतिवादियों की सम्पत्ति से कुर्की के माध्यम से प्राप्त राशि वादीगण के खाते में जमा करवाने की व्यवस्था करें।

निर्णय की पालना हेतु प्रतिलिपि तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ व थानाधिकारी पुलिस थाना, अनूपगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(अरविन्द्र कुमार जाखड़)
उपजिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

उक्त आदेश दिनांक 14.10.2015 की अपील अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 16.05.16 को पेश की गई है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के तहत आदेश की तिथि से 60 दिवस के भीतर अपील पेश करने का प्रावधान है। उक्त

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम 2010 के नियम **13(4) के तहत प्रत्येक आदेश चाहे व अंतिम हो या अंतरिम हो, उसकी प्रति व्यक्तिगत रूप से या उन्हें आदेशिका तामिलकर्त्ता के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आवेदक को और विरोधी पक्षकार को भिजवाये जाने का प्रावधान है।** प्रार्थी ने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्राप्ति हेतु दिनांक 20.03.2016 को प्रार्थना पत्र देकर 20.03.2016 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर, यह अपील दिनांक 16.05.2016 को पेश की है। जो आदेश प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर पेश कर दी है। रेस्पोडेंट द्वारा भी मियाद के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। चूंकि **अपीलार्थी को अपीलकृत आदेश दिनांक 14.10.2015 की प्रति, जो कि राजस्थान सरकर माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 10 के नियम 13(4) के तहत आवश्यक थी, जो कि अभिलेख के अनुसार भिजवाई जाना नहीं पाई जाती है। इसलिए इस अपील को न्यायहित में अंदर मियाद माना जाना उचित है। अतः इसका गुण दोष पर निस्तारण किया जाना उचित होगा।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्रों/पौत्र रेस्पोडेंट से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

उक्त धारा के तहत माता पिता जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्व अधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वह अपनी संतानों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार **अपीलांट मनीराम एवं रेस्पोंडेट संख्या 1 ओम प्रकाश व 02 राधाकृष्ण में पिता–पुत्र एवं रेस्पोंडेट संख्या 03 परिक्षीत के मध्य दादा–पौते का सम्बन्ध है।** रेस्पोडेट संख्या 2 व 3 की लिखित बहस के अनुसार उनके द्वारा 1500–1500/– रूपये अपीलांट के खाते में जमा करवाये जा रहे है, जिसके सबूत के रूप में बैंक की स्लिप संलग्न की है। पत्रावली में यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ओम प्रकाश भी नियमित रूप ये अपने हिस्से की भरण पोषण राशि जमा करवा रहा है। पत्रावली में उपलब्ध जिला परिवहन एवं पंजियन अधिकारी, श्रीगंगानगर से जारी फोटो प्रति के अनुसार वाहन संख्या आरआरके 6072 अपीलार्थी मनीराम पुत्र रामरख के नाम है। **अपीलांट द्वारा उक्त दस्तावेज का कोई खण्डन नहीं किया गया है जबकि रेस्पोडेंट ने अपने लिखित बहस में उक्त वाहन को फोर्ड ट्रैक्टर होना बताया है। चूंकि उक्त वाहन अपीलांट के नाम से दर्ज है इसलिए उनके उक्त कथन को बल मिलता है कि प्रार्थी के पास उक्त ट्रैक्टर से आय का पर्याप्त साधन है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का 8 के"बी" की रिपोर्ट के अनुसार जो उपखण्ड अधिकारी, अधिकारी, अनूपगढ के पत्र 1188 दिनांक 05.06.2015 के संदर्भ में प्राप्त है के अनुसार मनीराम अपीलांट ने अपने पुत्र राधाकृष्ण को दिनांक 22.10.2013 से इंतकाल संख्या 118 द्वारा दान के रूप में दिया जाना बताया है व दूसरे पुत्र प्रेम कुमार की मृत्यु होने के कारण अपीलार्थी मनीराम द्वारा अपने पोते रेस्पोडेंट संख्या 03–परीक्षित को जरिए इंतकाल संख्या 116 दिनांक 05.07.2013 3.883 है. व जरिए इंतकाल संख्या 118 दिनांक 22.10.2013 0.316 है. कुलर 4.199 है. रकबा दान दिया गया है।** जिससे भी स्पष्ट होता है कि **अपीलार्थी के पास अपनी आय के पर्याप्त स्त्रोत थे और है, तभी उसके द्वारा उक्त कृषि भूमि अपने पुत्र/पोते रेस्पोडेंट को दी गई है।** और उक्त कृषि भूमि के बारे में उसके द्वारा इस अपील में कोई राहत भी नहीं चाही गई है। **इसलिए उसके पास अपने भरण पोषण के लिए पर्याप्त आय के साधन प्रतीत होते है।** किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलकृत आदेश दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

14.10.2015 के द्वारा जो भरण पोषण रेस्पोडेंट दिलाये जाने का आदेश दिया गया है, वह उचित है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी का भरण पोषण बढाने सम्बन्धी अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ का आदेश दिनांक 14.10.2015 यथावत रखा जाता है एवं रेस्पोडेंट को आदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.2015 में निर्धारित किये गये भरण पोषण राशि का नियमित रूप से भुगतान करते रहे और भुगतान न करने की दशा में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करेगें। अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश दिनांक 14.10.2015 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक–एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भी सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर